



प्रेषक,

राजेश कुमार राय,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,

उ०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण,

लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 15 अप्रैल, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में उ०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण हेतु गैर-वेतन मद एवं वेतन मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, उ०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के पत्र संख्या-3098/यू०पी० रेरा/लेखा/बजट/2026-27 दिनांक 06.04.2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में उ०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण हेतु अनुदान संख्या-02 के लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-05-उ०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि ₹0 1000.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि ₹0 250.00 लाख (रूपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) एवं लेखा शीर्षक-2217-शहरी विकास-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-05-उ०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि ₹0 1057.18 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि ₹0 1057.18 लाख (रूपये दस करोड़ सत्तावन लाख अट्ठारह हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

- (1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के संगत खण्डों/नियमों तथा शासनादेशों में की व्यवस्थाओं के अनुरूप किया जायेगा तथा किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं है।
- (2) वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16ए में दिये गये सहायक अनुदान के सामान्य नियमों/स्थायी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। कार्यात्मक आवश्यकतानुसार कोषागार से धनराशि आहरित कर लिया जाय एवं स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक, डिपॉजिट खाते में न रखी जाय। उपकरणों आदि का क्रय स्टोर पर्चेज रूल्स एवं संगत वित्तीय नियमों के तहत किया जाय।
- (3) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु अधिकरण द्वारा तैयार किये गये देयकों पर सचिव, उ०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं प्रतिबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करते हुए केवल स्वीकृत मदों के अन्तर्गत किया जायेगा एवं किसी भी दशा में इसका उपयोग अन्य मदों के अन्तर्गत नहीं किया जायेगा।

2- गैर वेतन मद में होने वाला व्यय (धनराशि रू0 250.00 लाख) चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-002 के लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-05-उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) एवं वेतन मद में होने वाला व्यय (धनराशि रू0 1057.18 लाख) चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-002 के लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-05-उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश कुमार राय

विशेष सचिव।

संख्या-105/2026/463(1)आठ-1-26-001-1642905 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
- (2) महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
- (3) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
- (4) वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ।
- (5) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।
- (6) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (7) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- (8) निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- (9) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
- (10) अनुभाग अधिकारी (लेखा), आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त बजट का आवंटन कराने का कष्ट करें।
- (11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

गिरीश चन्द्र मिश्र

संयुक्त सचिव।